बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: **संकल्प** ::

पटना–15 दिनांक..................................

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित इन्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारम्भिक)–2014 के प्रश्न पत्र लीक मामले की जाँच हेतु दर्ज अगमकुँआ थाना कांड सं०–44/17, दिनांक 04.02.2017 (धारा–419/420/467/ 468/471/34 भा०द०वि०) के अनुसंधान के क्रम में श्री परमेश्वर राम, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक–440/11) सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने तथा दिनांक 08.02.2017 को उनकी गिरफ्तारी एवं न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–416, दिनांक 10.02.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9 (1) (ग) एवं नियम–9 (2) क में निहित प्रावधानों के तहत श्री राम को न्यायिक हिरासत की तिथि (दिनांक 08.02.2017 के प्रभाव से) से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री राम का मुख्यालय, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है। न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् वे उक्त निर्धारित मुख्यालय में अपना योगदान देगें।

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–08/था०कां०–12–01/2017,सा०प्र०,........................../पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–08/था०कां०–12–01/2017,सा०प्र०, 1680 **/पटना, दिनांक** 13-2-17

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/श्री परमेश्वर राम, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक–440/11) तत्कालीन सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (सम्प्रति आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर, पटना में संसीमित बन्दी)/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12,14/चारित्री कोषांग, एवं आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/2/17

सरकार के अवर सचिव।